

7  
20/10/21

Form No-|||

अज अदालत

फर्ड अहकाम (नियम 26)

उपरखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

करमीर सिंह S/O करमचन्द जाति

सरकार

किसम मुकदमा 136 एल आर एक्ट

नम्बर 93 सन् 2021

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021 /

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए
20.10.2021	<p>तहसीलदार भू.अ. / नायब तहसीलदार <u>समेजा कोठी</u> रायसिंहनगर के पंचांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/ <u>197</u> दिनांक <u>20.10.2021</u> के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>22 P.T. D'B</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>02 B. W. M. A.</u> की जमाबंदी सम्बत <u>2014-77</u> के खाता सं. <u>02</u> में <u>करमीर सिंह S/O करमचन्द जाति</u> <u>रामदासिधा सा. के खातेदार</u> के स्थान पर <u>करमीर सिंह S/O करमचन्द जाति</u> <u>रामदासिधा सा. के खातेदार</u></p> <p>की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंघा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>समेजा कोठी</u> रायसिंहनगर की अनुशंघा के आधार पर वाके चक <u>02 B. W. M. A.</u> तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बत <u>2014-77</u> के खाता सं. <u>02</u> में <u>करमीर सिंह S/O करमचन्द जाति</u> <u>रामदासिधा सा. के खातेदार</u> के स्थान पर <u>करमीर सिंह S/O करमचन्द जाति</u> <u>रामदासिधा सा. के खातेदार</u></p> <p>की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजरख रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)  
उपरखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर

